स्मरण– पत्र

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं
2 जलपथ, गांधीनगर जयपुर

क्रमांकः– एफ. 11 (7) (8) मो0/आईसीडीएस/09/2150-153 जयपुर, दिनांकः 7/1/19

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः– प्रभावी निरीक्षण करने बाबत।
प्रसंगः– पूर्व पत्रांक 127650–682 दिनांक 16.07.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत एंव प्रांसगिक पत्र द्वारा आपको आदेशित किया गया था कि विभागीय अधिकारियों/पर्यवेक्षकों द्वारा विभागीय स्तर पर किये जा रहे आंगनबाड़ी केन्द्र निरीक्षणों के संदर्भ में रिपोर्टिंग हेतु विभागीय निर्देश दिनांक 01.05.17 के अनुसार राजधारा के माध्यम से तथा अधिकारियों के निरीक्षण, भ्रमण, दौरे इत्यादि की सूचनाऐ विभागीय आदेश दिनांक 17.04.18 के द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ट्यूर मॉडूल्स मे अनिवार्यतः दर्ज करने की ऑनलाईन व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू की हुई है, अतः विभागीय तय लक्ष्यो के अनुरूप दौरे, निरीक्षण कर संबंधित सूचनाए केवल उक्त व्यवस्था के अनुसार ही नियत समय पर मुख्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। फिर भी आपके द्वारा उक्त निर्देशों के विपरीत राजधारा तथा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ट्यूर मॉडूल्स मे ऑनलाईन रिपोर्टिंग नही कर जरीये ई–मेल, पत्र द्वारा की जा रही है। यही नही, आपके एवं अधिनस्थो के द्वारा विभागीय तय लक्ष्यो के अनुरूप दौरे, निरीक्षण इत्यादि उक्त निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शत प्रतिशत ऑनलाईन रिपोर्टिंग नही की जा रही है।

अतः आपको पुनः अवगत कराया जाता है कि आप एवं अधिनस्थ सभी परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक उक्त निर्देशों की कठोरता से अक्षरशः पालना करना सुनिश्चित करें।

7.1.19

(रामावतार मीणा)
उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः– एफ. 11 (7) (8) मो0/आईसीडीएस/09/2154-2155 जयपुर, दिनांकः 7/1/19

प्रतिलिपिः–

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।
2. ए.सी.पी. एवं उप निदेशक, मुख्यालय, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

7.1.19

(रामावतार मीणा)
उप निदेशक (प्रशिक्षण)